न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः– 92/19 निर्णय दिनांकः–14.01.2021

1 श्रीमती कमला पत्नि रामा कटारा जाति मीणा निवासी मेरोप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीया

बनाम

1 श्री अशोक पिता लक्ष्मण कटारा जाति मीणा निवासी मेरोप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री गजेन्द्र पिता नानजी कटारा जाति मीणा निवासी मेरोप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री नानजी पिता मावा कटारा जाति मीणा निवासी मेरोप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 श्री लक्ष्मण पिता वजा कटारा जाति मीणा निवासी मेरोप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5 श्री बदा पिता नानजी कटारा जाति मीणा निवासी मेरोप तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
6 श्री मान भुमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अर्न्तगत धारा 188, 92 ए व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम , सपठित धारा 151</u>

उपस्थित :– श्री श्रवण रावल व कपिलदेव रोत वादीया की ओर से

श्री कर्तव्य शाह व विरेन्द्रसिंह चौहान प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 गांव मेरोप के स्थायी निवासी है। वादीया खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन कर रही है। वादीया व अन्य सहखातेदारों के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी मौजा मेरोप, खाता संख्या 36 खसरा नम्बर 121, 180, 181, 192, 198, 524, 528, 532, 619, 634, 64, 65, 66 खेत किता 13 कुल रकबा 1.9829 हैक्टेयर होकर स्थित है। वादीया अपने हिस्से की कब्जे की विरासती खातेदारी आराजी 180 व 181 में फसल बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहे था उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादीया की आराजी में एक राय होकर जबरन अनाधिकृत रूप से जेसीबी व टेक्टर लेकर प्रवेश कर मकान निर्माण करने को नींव खोदने लगे जिस पर वादीया द्वारा मना करने पर निर्माण सामग्री डालकर विवाद उत्पन्न करने लगे जिस पर वादीया ने प्रतिवादीगण को रोकने की कोशिश करने पर मारपीट कर झंगडा फंसाद करने लगे।

क्रमशः पेज 2 पर

जिस पर वादीया ने वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड वादीया व अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज होने से तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है जिस पर वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दिखाकर समझाने की कोशिश लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 समझने को तैयार ही नहीं हुए मकान निर्माण करने को लेकर नींव खुदाई करने को जबरन जमीन को खुर्द बुर्द कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी से वादीया को बेदखल करने की धमकी देने लगे तो वादीया ने कहा वादग्रस्त आराजी पुर्वजों से चली आ रही है विरासती आराजी है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कोई हक एवं अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 जबरन, जोर जबरदस्ती वादीया को वादग्रस्त आराजी से बेदखल होने की धमकी देने लगे। जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीया को विरासती भुमि मौजा मेरोप, खाता संख्या 36 खसरा नम्बर 121, 180, 181, 192, 198, 524, 528, 532, 619, 634, 64, 65, 66 खेत किता 13 कुल रकबा 1.09829 हैक्टेयर होकर स्थित है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजी व वादीया के हिस्से की आराजी संख्या 180 व 181 के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा न करे। वादीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करने न ही अपने मित्र एजेण्ट मजदुरों से करावे।

इस प्रकार वादीया ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादीया द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 न्यायालय जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने दिनांक 01.04.2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 14.01.2021 को प्रतिवादी का जवाब बंद कर दिया गया

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादीया ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 गांव मेरोप के स्थायी निवासी है। वादीया व अन्य सहखातेदारों के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी मौजा मेरोप, खाता संख्या 36 खसरा नम्बर 121, 180, 181, 192, 198, 524, 528, 532, 619, 634, 64, 65, 66 खेत किता 13 कुल रकबा 1.9829 हैक्टेयर होकर स्थित है। वादीया अपने कब्जे की हिस्से में आयी आराजी 180 व 181 में विरासती खातेदारी आराजी में फसल बुवाई कर खेती बाडी का कार्य कर रहे थे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जबरन प्रवेश कर झंगडा फिसाद मकान निर्माण करने को लेकर नींच खुदाई कर खुर्द बुर्द कर दिया गया है। जिस पर वादीया ने मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जबरन विवाद उत्पन्न झंगडा फंसाद शुरू कर दिया। जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीया को विरासती भुमि मौजा मेरोप, खाता संख्या 36 खसरा नम्बर 121, 180, 181, 192, 198, 524, 528, 532, 619, 634, 64, 65, 66 खेत किता 13 कुल रकबा 1.9829 हैक्टेयर भुमि में वादीया को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करने न ही अपने मित्र एजेण्ट से करावे। वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

क्रमशः पेज 3 पर

हमने वकील वादीया की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया व दस्तावेजों का अवलोकन से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादीया खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदारी काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी में जबरन कब्जा करने के लिए विवाद करते है। तथा वादी को काश्त में रूकावट पैदा करते है। ऐसे में प्रतिवादीण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादीया को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। ।

आदेश

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर वादीया के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा मेरोप, खाता संख्या 36 खसरा नम्बर 121, 180, 181, 192, 198, 524, 528, 532, 619, 634, 64, 65, 66 खेत किता 13 कुल रकबा 1.9829 हैक्टेयर भुमि होकर स्थित तथा ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादीया को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 14.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्रीमति कमला बनाम श्री अशोक वगैरह

वाद बाबतः– स्थायी निषेधाज्ञा 188, 92 ए व 209 राज.टी. एक्ट व सपठित धारा 151 जा.दी

मुकदमा नम्बरः– 92/2019

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरी :– श्री श्रवण रावल व कपिलदेव रोत मिनजानिब मुदई व कर्तव्य शाह व विरेन्द्रसिंह चौहान मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है किः–

मौजा मेरोप की हाल जमाबंदी में खाता संख्या 36, खसरा नम्बर 121, 180, 181, 192, 198, 524, 528, 532, 619, 634, 64, 65, 66 खेत किता 13 कुल रकबा 1.9829 हैक्टेयर भुमि होकर स्थित है। तथा ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद किया जाना उचित समझता हू। कि वादग्रस्त आराजी में वादीया को काश्त करने में रूकावट पैदा नहीं करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 14.01.2021 को जारी की गई।

दस्तखत. उपखण्ड अधिकारी

ओहदा . . . सीमलवाड़ा . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा